न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 236–पीबीआर/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–2–11 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 08/निगरानी/09–10.

मोहन लाल पुत्र हरचंद जाट
निवासी ग्राम रिजगांव
तहसील व जिला हरदा ....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मथुराबाई बेवा नर्मदा प्रसाद शुक्ला
2– चन्द्रकान्त शुक्ला पुत्र नर्मदा प्रसाद शुक्ला
निवासीगण ग्राम गढ़ी पुरा हरदा
तहसील व जिला हरदा ....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 बाजपेयी,, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/07/2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 श्रीमती मथुराबाई द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, उप तहसील हंडिया के समक्ष संहिता की धारा 51 मय अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम

रिजगांव पटवारी हल्का नं. 15 स्थित खसरा नम्बर 120/1, 120/2 एवं 127/1 कुल रकबा 23 एकड़ अनावेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व की है, जिसे खोट पर अनावेदक के परिवार के लोगों को दी जाती रही है । गत वर्ष सोयाबीन की फसल पर इल्ली के प्रकोप की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्ति के समय उसे ज्ञात हुआ कि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 42/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 21–9–98 से उक्त भूमि में से 13.77 एकड़ भूमि संहिता की धारा 190 के अंतर्गत अनावेदक के नाम अंतरित कर दी गई है, जबकि संहिता की धारा 168, 169 के प्रावधानों के अधीन ऐसा अधिकार तहसीलदार को नहीं था । अतः तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 21–9–98 शून्य घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में उनके नाम दर्ज किये जायें । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 333/बी–121/2005–06 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी, हरदा से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की जाकर दिनांक 15–5–06 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए मूल आवेदन पत्र अपील का विषय होना मानकर पुनर्विलोकन का प्रकरण समाप्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, हरदा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 3–7–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के दोनों आदेश दिनांक 21–9–98 एवं 15–5–2006 निरस्त किये जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे पुनरीक्षण के सभी बिन्दुओं पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें, उसके पश्चात प्रकरण का नियमों के अनुसार गुण–दोष पर निराकरण करें । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 4–2–11 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 1998 में पारित आदेश रद्द किया जाकर कलेक्टर का आदेश दिनांक 3–7–2009 भी इस सीमा तक रद्द किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष जॉच का बिन्दु विचारणीय था, परन्तु आयुक्त द्वारा उससे बढ़कर आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि पुनर्विलोकन के लिए दर्शाये गये आधारों में से कोई भी आधार प्रकरण में उपलब्ध नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया

कि वर्ष 1998 के आदेश को 8–12–2004 को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अवधि बाह्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्धारण पर कोई विचार किये बिना पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ने प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति के अनुरूप जॉच नहीं होना पाया है, ऐसी स्थिति में बिना जॉच किये अंतिम आदेश पारित करने में आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि एक बार नामांतरण होने जाने के पश्चात व्यथित पक्षकार केवल व्यवहार न्यायालय से ही सहायता प्राप्त कर सकता है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं उठाया है, इसलिए इस संबंध में पारित आदेश अनुचित है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश था, जिसका पुनर्विलोकन करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–98 को वर्ष 2005 में पुनर्विलोकन में लिया गया है, जो अत्यधिक विलंबित कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है, इसलिए उसे भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । तर्कों के समर्थन में 1978 आर.एन. 36 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी आदेश पारित किया गया है, जो कि अभिलेख से प्रथम दृष्टया त्रुटि है । यह भी कहा गया कि विपरीत आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार देने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का निष्कर्ष उचित है कि प्रकरण जब प्रचलन योग्य ही नहीं है, तब कलेक्टर द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तन करने का औचित्य नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक को व्यवहार न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हुई है । तर्कों के समर्थन में 1954 ए.आई.आर. (एस.सी.)1340, 1982 आर.एन. 186, 1999 आर. एन. 196, 1996 आर.एन. 255, 1965 जे.एल.जे. 583, 1991 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 1981 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध निजी व्यक्तियों की बीच विवाद है । तहसील न्यायालय के प्रकरण से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 21–9–98 के पुनर्विलोकन की कार्यवाही दिनांक 11–7–2005 को लगभग 6 वर्ष पश्चात की गई है । संहिता की धारा 51 के परंतुक तीन में प्रावधानित है कि "किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो प्रायवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, कार्यवाहियों से किसी पक्षकार के आवेदन पर ही किया जायेगा अन्यथा नही और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस आदेश के पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर न किया गया हो ।" स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा लगभग 6 वर्ष पश्चात पुनर्विलोकन की कार्यवाही करने में उक्त आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है । इस संबंध में 2000 आर.एन. 76 शहीद अनवर विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 51 परंतुक (एक)–पुनर्विलोकन के लिए मंडल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी–दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा संकती ।"

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दी गई पुनर्विलोकन की अनुमति विधिसंगत नहीं ठहराई जा सकती है, और ऐसी अवैधानिक अनुमति के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर पारित आदेश वैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 21–9–98 स्थिर रखे जाने योग्य है । जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है, कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–5–2006 इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति के अनुरूप जॉच नहीं कर आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, और प्रकरण नायब तहसीलदार को जॉच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे पुनरीक्षण के सभी बिन्दुओं पर दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित

अवसर प्रदान कर नियमों के अनुसार गुण-दोष पर निराकरण करें । जबकि नायब तहसीलदार द्वारा इस वैधानिक आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 21-9-98 अपीलीय आदेश है, और जहां विधि के बिन्दु पर आदेश पारित किया जाता है, वहां किसी प्रकार के जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती है । अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश भी विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-98 को आयुक्त द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, जबकि प्रकरण में अनावेदिका कमांक 1 मथुराबाई द्वारा द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को खोट पर दी जाती थी, और आवेदक द्वारा संहिता की धारा 168, 169 व 190 का गलत प्रयोग कर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया गया है । संहिता की धारा 168 के अंतर्गत भूमिस्वामी द्वारा भूमि 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है तथा संहिता की धारा 169 के अंतर्गत 2 वर्ष से अधिक कालावधि के लिए कब्जा सौंपे जाने पर पट्टेधारी को मौरूसी कृषक के हक प्राप्त हो जाते हैं । जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है कि अनावेदिका कमांक 1 मथुराबाई द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसे द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां आवेदक को खोट पर दी गई है, और उसके द्वारा कब्जा भी प्राप्त नहीं किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 21-9-98 को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आदेश पारित नहीं कर संहिता की धारा 168, 169 व 190 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाना मान्य किया जायेगा । इस संबंध में 2013 आर.एन. 87 पुष्पलता (श्रीमती) विरूद्ध श्रीमती मिश्री बाई तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 168, 169 तथा 190-उपबंधों के अधीन अधिकारिता-धारा 168 (1) के उल्लंघन में पट्टा-पट्टा प्रदान करना तथा कब्जा होना स्वीकृत-पट्टेदार को मौरूसी कृषक तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रोद्भूत-राजस्व न्यायालयों को धारा 190 के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने की अनन्य अधिकारिता है-सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है ।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत स्वत्व निर्धारण की अधिकारिता व्यवहार न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालयों को है । अतः अपर आयुक्त द्वारा जिन निष्कर्षों के आधार पर आदेश पारित किया गया है, वे उचित नहीं ठहराये जा सकते हैं, इस कारण उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–11, कलेक्टर, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–2009 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–2006 निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार हंडिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–98 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर